89

संख्या– 221 /VI-2/2013–51(6)2012

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रारद निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 08 अगस्त ~~जुलाई~~, 2013

विषयः– युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के वचनमद्ध/अवचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–248, 247/दो–2429/2013–14 दिनांक 31 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या–112/VI–2/2013–51(6)2012 दिनांक 11 अप्रैल, 2013 एवं शासनादेश संख्या–185/VI–2/2013–51(6)2012 दिनांक 16 जुलाई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में युवा कल्याण विभाग की विभिन्न इकाईयों हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204 अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में ₹16.00 लाख (सोलह लाख) मात्र की धनराशि निम्नानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(क) अनुदान संख्या–11, लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–

आयोजनेत्तर
(धनराशि हजार ₹ में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए प्राविधान	धनराशि जिसे अवमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	200	200
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200	200
18–प्रकाशन	75	75
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	100	100
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	25	25
25–लघु निर्माण कार्य	100	100
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	200	200
29–अनुरक्षण	300	300
46– कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय	200	200
47– कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय	200	200
योगः–	1600	1600

उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–284/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय हेतु बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति से ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय करने के लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204 के उपशीर्षक में डाला जायेगा।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या–221/VI-2/2013–तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अनुसचिव।